राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20/म0स्वा0कार्य0/(सा 41)/2019/ दिनांकः–

आदेश

श्रीमती उर्मिला, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ,(जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), प्रा0स्वा0केन्द्र, दाखा खण्ड सिणधरी, बाडमेर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम–110–112 के तहत निदेशालय के आदेश क्रमांक 1113 दिनांक 13.08.2014 द्वारा क्र0स0 3 पर दिनांक 22.12.2014 से 26.08.2015 तक 248 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया था। मे से दिनांक 24.02.2015 से 26.08.2015 तक 183 दिवस के अवैतनिक अवकाश को निरस्त कर दिनांक 07.12.2017 से 07.06.2018 तक 183 दिवस का असाधारण अवकाश एवं दिनांक 09.06.2018 से 10.06.2018 तक राजकीय अवकाश स्वीकृत किया जाता है। शेष यथावत।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20/म0स्वा0कार्य0/(सा 41)/2019/1844 दिनांकः– 13-12-019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिणधरी बाडमेर।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर